

नव प्रदेश संवाददाता कुमार निर्मलकर, बलौदा बाजार गया। जिसका प्रदेश अध्यक्ष मनोज

नव प्रदेश संवाददात

नर्मलकर एवं कोषाध्यक्ष
हनीजे है। आगे बताया गया
वर्षों से स्वभू प्रदेश
वन कर बैठे सूरज
र द्वारा आज भी अपने
छत्तीसगढ़ धोवी समाज
अध्यक्ष वतकर 30
को अरमरीकला में
वेशन कार्यक्रम रखा गया
का धोवी समाज खंडन
और कहां की छत्तीसगढ़
समाज का प्रदेश अध्यक्ष
नर्मलकर है।

यालय तहसीलदार
जिल्हा मार्ग (ज.म.)

उद्घोषणा

प्र.३८.क/३०/अ/व्य/२०२१-२२
 कक्षा सर्वप्रथम को मुनिपल किया
 अवैकल्य को, वहीन खान पिता स्व.
 क खान अन्य-६ निवासि ग्राम
 लकसील व जितल दुर्गे के द्वारा ग्राम
 लक्ष. व जितल दुर्गे स्थित पुमि खसरा
 ५६ रुकना ०.०२० हे. पुमि को जे
 किमिलल सखलदेवर के नम्य पर
 वसल अविश्वल में दर्ज हे. आभिल
 लेखल/ वसिपलकल श्रीमती शाकनल
 द्वारा अवैकल के पथ में दिनक
 २०११ को पुनिकृत/अपिकृत
 नल निष्पादित किया गया हे.
 ल को मल्य हो लाने पर

पर नाकूत वासनाधारी के आशय पर नाम रखस अपिहृत में र्जुन किर आवेदन पर इस न्यायालय में प्रस्तुत है।

इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर या दाना निशान पेशी दिनांक 14.01.2022 अर्थात् अपने विधिवान् अधिकारों के इस न्यायालय से इस न्यायालय में लेकर लिखित में आवसित आवेदन करके है। समग्राण परचरु अर्पित पर कोई विचार नही किया जागा।

दिनांक 23.12.2021 को यह मेरे स्वयं के इन्फार्म एव न्यायालय के साथ जरी किया गया।

तहमीलदार
दर (छग)

यालय तहसीलदार

जिला दुर्ग (छ.ग.)

स.प्र.क्र- //३६-०६/वर्ष २०२१-२२
यह समीक्षाभारत को समितित किया

प्रसाद दुबे निवासी ग्राम कसारीडीह

तामनील व जिता दुर्ग स्थित भूमि पर 722/26 सकबा 0.005 हे. भूमि का निष्ठावृत्तीन रोख पिता/पति न रोख निवासी ग्राम दुर्ग से रजिस्टर्ड 22/12/2021 को कय निष्ठा अवेदिता भूमि को रजिस्टर्ड वैनामा पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये आवेदिन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत है।

अबका अपने विधिमान्य अधिकांश के इस न्यायालय से इस न्यायालय में इस विधिमान्य में आपति आवेदन करते हैं। सम्पादक पर चर्चा आपति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 23.12.2021 को यह मेरे स्थान के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के साथ जारी किया गया।

नहमीलदार
दूर (छ.ग.)

य अनुविभागीय अधिकारी

ईशतद्वार

पंजी. नं. 202112100600076
द्वारा आम जनता को सूचित किया

एक मिश्रा निवासी सावपारा,
या भगवती उड्ड. य. जिला भगवती

ग्राम अमलेखर प.ह.नं. 5 तह.
ना दुर्ग स्थिति भूमिस्वामी हक की
नं. 47/13 रकबा 0.0120 हे.
आवासीय इलाके हेतु ड्रायवर्सन
छ.ग.भू.सं. 1959 की धारा
59 के तहत पुर्ननिर्धारण
लेवेन प्रस्तुत किया है। जिसके
प्रकरण विचारधीन है।
यह इस संबंध में आवेदित भूमि के
जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था

उद्घोषणा के प्रकारानों को तिथि 22 तक सर्व अथवा अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में दोहरा आगति प्रस्तुत कर सकते हैं तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा।
उद्घोषणा आज दिनांक 021 को मेरे हस्ताक्षर तथा की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी
पाटन जिला, दुर्ग (छ.ग.)

य अनुविभागीय अधिकारी

उद्घोषणा

द्वारा आम जनता को सूचित किया

जहाँ यहाँ निवासी सुभाष नगर दुर्ग
के स्थानिक की भूमि ग्राम खोसी
19/23 तहसील व जिला दुर्ग
में खसरा नंबर 342/21 रकबा
1/1920 वर्गफीट के आवासीय
हेतु डायवर्सन के लिए
सं. 1959 की धारा 59 (2) के
निर्धारण बावजूत आवेदन प्रस्तुत
। जिसके संबंध में प्रकरण
यह है।

यह इस सत्र में अगोपित भूमि के विजय सेविका व्यक्ति अथवा संस्था प्रकर का दावा -आपत्ति हो तो उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि प्रथम तक स्वयं अथवा अधिकृत के माध्यम से न्यायालय में भेजकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा।
उद्घोषणा आज दिनांक 021 को मेरे हस्ताक्षर तथा की मुद्रा के साथ जारी किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

प्रशासन आम नागरिकों के बीच पहुंचे और उन्हें शासन की सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, सुपोषण और शिक्षा जिले की मुख्य संकेतक हैं। इसमें सुधार के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मानपुर में सुपोषण अभियान के अंतर्गत माह दिसम्बर तक सभी बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य पार कर लिया गया है।

के लिए उपयोगी साबित होगा। काशीशाला में राय सूचना आयुक्तद्वारा संसूचक संस्थाक ने जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलवीच अधिकारी के प्रवर्तन और शंकाओं का समाधान किया। एक दिवसीय काशीशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रेम, मैत्राण, एसडीएम मोहला ललितादिनी नीरम, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय, एसडीएम राजनारायण अथवा वर्मा एवं सभी एसडीएम तथा जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलवीच अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।